

D.N.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, मंगलवार जनवरी 4, 1983/पौष 14, 1904
No. 4] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 1983/PAUSA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त संचालक
(राजपत्र विभाग)

सर्वसम्पत्ति प्रणाली

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1983

सं० संचालक/सं०सू० 85/82

फा०सं० 600/3902, 82-प्र०अ० -- राजपत्र के द्वितीय खण्ड के अन्तर्गत प्रकाशित प्रतिप्रदायणी
नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र अधिनियम, दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित
अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 60/73, अन्तर्गत सं० 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार मार्केटिंग
सूचना सं० प्रतिप्रदायणी/सं०सू० 59 दिनांक 20.09.72 में प्रकाशित शारीरिक विज्ञान विभाग
लिखित संशोधन करती है -

उपक्रमांक 3907 के सामने विद्यमान प्रगण्डियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

उपक्रमांक	प्रतिश्रदायगी की दर	विनिधान	
		सो०शु०	के०उ०शु०
3907. ड्राप फोर्ज्ड हैंडटूल्स			
(क) जस्तेदार	970.00 रु० प्रति टन	350.00 रु०	620.00 रु०
(ख) निकल अथवा क्रोम पट्टित	792.00 रु० प्रति टन	150.00 रु०	642.00 रु०
(ग) अन्य	646.00 रु० प्रति टन		समस्त के०उ०शु०

यह सार्वजनिक सूचना 1 जून, 1982 को लागू होगी।

जे०एस०श्री० खाथिंग, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th January, 1982

No. DRAWBACK/PN-85/82

F. No 600/3902/82-DBK — Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India — Extra Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-50, dated the 1st June, 1982, for the existing entries against Sub-Serial No. 3907, the following shall be substituted, namely :—

Sub-Sl No.	Rate of Drawback	Allocation	
		Cus.	C. Ex.
3907 : Drop forged hand tools :—			
(a) Galvanised	Rs. 970.00 per tonne	Rs. 350.00	Rs. 620.00
(b) Nickel or Chrome plated	Rs. 792.00 per tonne	Rs. 150.00	Rs. 642.00
(c) Others	Rs. 646.00 per tonne		All Central Excise

This Public Notice shall come into force on the 1st June, 1982.

J S.R. KHATHING, Under Secy